RAJYA SABHA

Friday, the 6th December, 1985 (15/A *Agrahayana* 1907 (*Saka)*

The House met at eleven of the clock, the Deputy Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*26i. *[The questioner (Shri Gum-das Das Gupta) was absent. For answer* vide *col.* 36 infra.]

*262. *[Transfered to the \-jth December,* 1985]

अतिथि गृह के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश को प्लाट का आवंटन

*263. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश सरकार को तीसरे अतिथि-गृह के निर्माण के लिए, चाणक्य सिनेमा के निकट जो प्लाट आवंटित किया गया था, उसका वास्तविक कब्जा अभी तक प्रदान नहीं किया गया है यद्यपि इस प्लाट की लागत के रूप में 65,95,400 रुपये की राशि इसके आवंटन के समय अदा कर दी गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उक्त आवंटित प्लाट पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को अनुदेश दिए थे और यह कि उन अनुदेशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है, और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और और (ख) का उत्तर "हां" हो तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद ही अतिक्रमण हटाए जाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण को तदनुसार कार्यवाही करने को कहा गया है ।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : उपसभापति जी, उत्तर प्रदेश सरकार को जो भूमि आवंटित की गयी थी, उसके बदले में उत्तर प्रदेश सरकार ने 65,95,400/- रुपए सन् 1982 में ही जमा कर दिए थे। लेकिन उस पर उसको कब्जा नहीं मिला। उस पर किस प्रकार के लोगों का इस समय कब्जा है, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री दलबीर सिंह : महोदया, यह उत्तर प्रदेश सरकार को भूमि आवंटित की गयी थी, जिसका उन्होंने प्रीमियम भी नवम्बर, 1983 में जमा किया है । लेकिन यहां पर एन्क्रोचमेंट होने की वजह से इनको कब्जा नहीं दिया जा सका और अभी ड्यू प्रोसेस आफ लां चल रहा है और जैसे ही यह हमारा प्रोसेस आफ ला समाप्त हो जाएगा, इस बीच हमारी बातें चल रही हैं, उसके बाद ही यह भूमि का कब्जा आपको दिलाया जायगा ।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस पर झुग्गी-झोंपड़ी वालों का कब्जा है ?

श्री दलबीर सिंह : जी हां, झुग्गी-झोंपड़ी वालों का कब्जा है वहां पर । लेकिन हम इसे हटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे आदेश आए हैं कि जब तक इनके लिये भूमि आवंटित नहीं करते बसाने के लिये, तब तक इन लोगों को न हटाएं । यह अण्डर प्रोसेस आफ ला है और जैसे ही यह जो हमारा ड्यू प्रोसेस आफ ला चल रहा है, यह विवाद जैसे ही समाप्त हो जाता है यह भूमि जो आवंटित की गयी है, कब्जा दिलाएंगे ।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : इसमें कितना समय लग सकता है ?

श्री दलबीर सिंह : अभी तो यह अण्डर ड्यू प्रोसेस आफ ला है, इसके आधार पर हम नहीं कह सकते कि यह कब्जा कब तक दिला सकते हैं ?

SHRI KAPIL VERMA : Madam, this sum of Rs. 65,95,400 was paid in 1982 and since then two Chief Ministers have talked to Mr. Ghafoor and to the Lt. Governor also. The Delhi Administration and the Government have written that something will be done very soon. But nothing much appears to have been done so **far.** I want to know what legal steps have been taken and why the formal notification by the Land and Development office for allotting land to the U. P. Government and for asking the D.D A. to give possession has not been issued. What legal steps have been taken so far.

श्री दलबीर सिंह : महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पहले ही अपने उत्तर में बताया है, हम तो बड़े कोन हैं कि इस भूमि का जल्दी ही कब्जा दे दें । लेकिन कुछ यह जो झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोग हैं, इनको हम हटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यह अण्डर प्रोसेस ला है और सब-जज ने भी यह कहा है कि जब तक आप इनको जगह नहीं दिलाएंगे, यह प्रोसेस करिए । हम तो इसमें बड़े कीन हैं और जैसे ही यह विवाद समाप्त होगा, भूमि जो आवंटित है, दिलाएंगे ।

श्री कपिल वर्मा : उनकी व्यवस्था की दिक्कत क्या हो रही है ?

श्री दलबीर सिंह : अभी आपने खुद ही देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे आदेश हमें मिले हैं जब तक अल्टिल-अनलेस कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर देते, इन झुग्गी-झोंपड़ी वालों को न हटाया जाय । हमारी वाइंडिंग है अन्यथा हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है... (व्यवधान) व्यवस्था तो हम करने जा रहे हैं और जैसे ही व्यवस्था हो जायेगी, विवाद समाप्त हो जायेगा, भूमि का पजेशन दिला देंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर सन् 1983 में, जिसको दो वर्ष से अधिक हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी रकम जमा की, उसके सिलसिले में मेरा कहना यह है कि ये लोग जो झुग्गी-झोंपड़ी वाले उस पर काबिज हैं कब से काबिज हैं और प्रोसेस आफ ला जिसका मंत्री जी ने अपने उत्तर में जिक्र किया वह आपने कब से प्रारम्भ की है और क्या रुकावटें हैं उसके कम्पलीशन में ?

श्री दलबीर सिंह : हमने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भूमि आवंटित की थी, उसके तुरन्त बाद कुछ झुग्गी-झोंपड़ी वाले—हम तो पजेशन के लिए तैयार थे—कोर्ट में जाकर स्टे आर्डर ले आए कि जब तक उनकी व्यवस्था न हो उनको हटाया न जाय । उसमें एक वर्कशाप भी है । उसी के तहत यह रूलिंग है कि जब तक झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिए उचित व्यवस्था न हो जमीन खाली न कराई जाय ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय महोदया, उन्होंने उत्तर नहीं दिया ।

What is the action that the Government has taken under due process of law since 1983 ?

श्री दलबीर सिंह : एनक्रोचमेंट 1974 से है और आपने प्रीमियम जमा किया है 83 में । एनक्रोचमेंट पहले से था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : प्रोसेस आफ ला आपने क्या किया ?

श्री सत्यप्रकाश मालवीय : इसी प्रोसेस आफ ला पर मेरा सवाल है । क्या आपने अदालत में खाली कराने की कार्यवाही की ? क्या इल्लीगल आकूपेंट्स को डिस्पजेस करने के लिए सिविल कोर्ट में कोई कार्यवाही की जा रही है ? क्या किसी कोर्ट में कोई कार्यवाही की जा रही है और यदि कार्यवाही की जा रही है तो कितने लोगों के खिलाफ ?

श्री दलबीर सिंह : अभी-अभी माननीय सदस्य ने जो पूछा है उसकी जानकारी मैं बाद में दे सकूंगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes, Mrs. Usha Malhotra.

SHRIMATI USHA MALHOTRA : Madam, I would like to know one thing from the honourable Minister. It has been stated that a huge amount has been paid in the year 1983 against the plot which was to be allotted to the Government of UP for a Guest House. Is there any thinking on the part of the Government about the interest that would be accumulating on this amount ? Is it to be returned to the concerned Government or is to be taken as a part of the payment ? Secondly, I would like to know whether there is any limit to the number of plots that a State Government can have as their own in Delhi for the construction of guest houses.

श्री दलबीर सिंह माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रीमियम '83 में जमा किया है । उसको तो इस हम स्वीकार कर रहे हैं । इन्होंने पूछा है गेस्ट हाउस के लिए । उत्तर प्रदेश सरकार तीसरा गेस्ट हाउस बनाना चाहती है । अब लिटिगेशन की वजह से हम रुके हैं । कोई ऐसी बात नहीं है कि जमीन न दी जाय ।

श्रीमती उषा मलहोत्रा : इन्टरेस्ट के बारे में आपने नहीं बताया ।

SHRI KAPIL VERMA : It is Rs. 15 lakhs.

श्री दलबीर सिंह : यह जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं बाद में दे सकता हूं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Yes, Mr. Bhandare.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Thank you, Madam. The first thing is the requirement of the UP Government. UP is the largest State with the largest population. Ithas425MLAs and about 200 MLCs. Therefore, the needs and requirements of the State of UP must be appreciated by the Minister and the Ministry of Urban Development. They should appreciate that the needs are very urgent and they should look into the question immediately. But what is more important is the larger question, the question of due process of law. If the process of law goes on and it gets unduly delayed, then it ceases to be a due process of law. Now, all these plots are very precious and are meant for the proper development of Delhi. The honourable Minister has said that the Supreme Court has also given directives. I want to know whether any scheme has been devised by the Government for the shifting of the tresspassers and the hutment-dwellers residing on these plots, by giving them alternative accommodacion at some convenient place, as we have done previously, somewhere in Outer Delhi. That is the most important thing to be *&6iie* immediately, and instead of doing it plot by plot an integrated scheme should be devised without any loss of time. Therefore, I am asking the question whether any such scheme has been devised or is under consideration.

श्री दलबीर सिंह : आप ने जो बतलाया है उन सजेशन्स को हम ने नोट कर लिया है और डी० डी० ए० को भी निर्देश दिये गये हैं कि वह पहले प्लाट्स को डवलप कर लें तो अच्छा होगा ।

श्री रामचन्द्र विकल : मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1974 से वह लोग काबिज हैं यह जानते हुए भी यह प्लान दे दिया गया । जब उन का कब्जा था तो यह प्लाट क्यों दिया गया ? दूसरे यह कि जो रूपया जमा है उस के सूद के अलावा जो मकान बनाने में देरी हो रही है और आये दिन मंहगाई बढ़ रही है उस का जिम्मेदार कौन होगा ?

उपसभापति : सूद के बारे में उन्होंने बता दिया है ।

श्री रामचन्द्र विकल : कब्जा होते हुए प्लाट क्यों दिया गया ? और जो कीमत बढ़ेगी बिल्डिंग की मंहगाई के कारण उस की जिम्मेदारी किस पर होगी ?

श्री दलबीर सिंह : लीगल कब्जा तो उनका नहीं है । वह तो इंक्रोचमेंट है ।

Houses for economically weaker sections of society

♦264. SHRI KALPNATH RAT: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) what are the details of schemes drawn up for providing houses to the economically weaker sections of society during the Seventh Five Year Plan period ;

(b) what are the funds proposed to be allocated for the same ; and

(c) what is the number of people who are expected to be provided with housing facilities during the current financial year under the schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) Housing is a State subject and the State Govts. U. T. Admns. have been given full powers to formulate and implement Social Housing Schemes as per their needs and plan priorities. One of the schemes is exclusively meant for EWS under which sites and services at cost price are provided to the beneficiaries. A loan of Rs. 5000-/ per beneficiary is also given on concessional rates of interest.

(b) Central financial assistance is given to the States/U. Ts. in the shape of block loans and block grants without their being tied to any particular scheme or head ofdevelopment.

(c) 1,51,161 EWS families are expected to be provided housing units during the year 1985-86.

श्री कल्पनाथ राय : उपसभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सातवीं योजना में रूरल एरिया के लिये और अरबन एरिया के लिये हर साल के हिसाब से कितने मकानों का बदान की योजना सरकार की है ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि छठी योजना में कितने मकान दिये हैं उस का उत्तर तो हम ने "सी" में दे दिया है कि 1,51,161 फैमिलीज को मकान प्रोवाइड किये गये हैं और सातवीं योजना में हमारे पास प्रस्ताव हैं लेकिन निश्चित रूप से मैं नहीं बता सकता कि कितने मकान हम बनायेंगे ।

श्री कल्पनाथ राय : सरकार के पास कोई योजना तो होगी कि सातवीं योजना में आप की प्लानिंग क्या है और आप कितने मकान अरबन और रूरल वीकर सेक्शन्स के लिये बनायेंगे ?

श्री दलबीर सिंह : आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उन के संबंध में सातवीं योजना में जो मकान बनाने का हमारा लक्ष्य है वह राज्य सरकारों और संघ सरकार के परामर्श से निर्धारित किया गया है, और छठी योजना में हम ने क्या किया है वह बता दिया है, लेकिन . .

उपसभापति : सातवीं योजना का ड्राफ्ट जब आयेगा तो आप को पता लग जायगा कि उस में क्या होने वाला है । उस समय आप को सब मालूम हो जायेंगा । श्री एस० एस० महापात्र ।

DR. SHYAM SUNDAR MOHAPATRA : Madam, Will the Minister kindly tell us if he is aware of modern technologies in house building at a cheaper cost and if they can fit into the demand of the weaker sections ? Second, is he aware of the technology displayed in the last Trade Fair here only two weeks back, where